

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH

भा.आ.अ.प. के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम हेतु आवेदन ।

Application for grant of advance from the ICMR General Provident Fund

1. अंशदाता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
Name of subscriber(in block letters)
2. पदनाम / Designation
3. कार्यालय/एकक का नाम
Name of office/Unit
4. सा.भ.निधि खाता नम्बर
General provident Fund Account No.
5. मंहगाई भत्ते सहित मासिक वेतन
Monthly pay including dearness allowance
6. अग्रिम की अपेक्षित राशि
Amount of advance required
7. अग्रिम लेने का कारण
Reasons for which advance is required
8. बराबर मासिक किश्तों की संख्या जिनमें अग्रिम लौटाया जाएगा
No. of equal monthly instalments in which the advance will be repaid
9. अंशदाता के खाते में जमा अंशदान और उस पर बना ब्याज
(परिषद के अंशदान और उस पर बने ब्याज को छोड़कर)
Amount of subscription plus interest there on(Excluding Council's contributions and interest there on) standing to the subscriber's credit in the account
10. पहले ली गई अग्रिम राशि कोई हो ।
Amount of advance, if any last drawn.
11. पहले लिया गया अग्रिम कितनी किश्तों में लौटाया था
The number of instalments in which the last advance was repaid
12. अंतिम किश्त कितनी राशि की थी ।
Amount of the last instalment paid
13. अंतिम किश्त किस महीने में अदा की गई ।
Month in which the last instalment was paid
14. पिछले अग्रिम पर बना ब्याज किस महीने में अदा किया गया ।
Month in which interest on the the last advance was paid

स्थान / Place :

तारीख / Dated :

अंशदाता के हस्ताक्षर

Signature of the subscriber

क) सामान्यतः अग्रिम की सीमा तीन माह के वेतन तक सीमित है (मंहगाई भत्ता छोड़कर)

a) *The amount of advance is normally limited to three month's pay(excluding dearness allowance)*

ख) अग्रिम निम्नलिखित कारणों से लिया जा सकता है :

b) *Advance can be drawn for the following reasons :-*

1. *अंशदाता या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसूति, अपंगता तथा आवश्यकता पड़ने पर यात्रा संबंध खर्चों के भुगतान के लिए । To pay expenses in connection with illness, contempt or a disability, including where necessary, the traveling expenses of the subscriber of any persons actually dependent on him.*

2. *निम्नलिखित मामलों में अंशदाता या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर यात्रा संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए : To meet the cost of higher education,including where necessary, the traveling expenses of the subscriber of any persons actually dependent on him in the following cases, namely.*

हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में मेडिकल, इंजिनियरिंग या अन्य तकनीकी अथवा विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए बशर्ते पाठ्यक्रम या शिक्षा की अवधि 3 वर्ष से कम न हो । For any medical,engineering or other technical or specialist course in India beyond the High school stage, provided that the course or study is for not less than three years.

3. *अंशदाता की हैसियत के मुताबिक उन अनिवार्य खर्चों के लिए जो अंशदाता को रिवाज के अनुसार विवाह, अंत्येष्टि या अन्य अनुष्ठानों के संबंध में खर्च करने पड़ते हैं । To pay obligatory` s status which by customary usage, the subscriber has to incur in connection with marriages,, funerals or other ceremonies.*

4. *सरकारी जूट्टी के अनुपालन में अंशदाता द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कार्य के लिए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंशदाता द्वारा दायर मुकदमें के खर्चों को पूरा करने के लिए । यह अग्रिम इस मामले में अन्य स्रोतों से ग्राह्य अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध है : To meet the cost of legal proceedings instituted by the subscriber for indicating his position in regard to any allegations made against him in respect of any act done or purporting to be done by him in the discharge or his official duty, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other source.*

5. *परंतु इस उप-खंड के तहत अग्रिम उस स्थिति में ग्राह्य नहीं होगा जबकि किसी अंशदाता द्वारा किसी न्यायलय में दायर किया गया मुकदमा उनकी सरकारी जूट्टी से संबंधित नहीं है या किसी सेवा शर्त या उन पर लगाए गए जुर्माने के संबंध में परिषद के खिलाफ किया गया है । Provided that advance under this sub-clause shall not be admissible to a subscriber who instituted legal proceedings in any courts of law weightier in respect of any matter unconnected with his official duty or against Council in respect of any condition of service or penalty imposed on him.*